



**कार्यालय कलेक्टर जिला – कोरबा (छत्तीसगढ़) एवं पदेन उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

- II प्रारंभिक अधिसूचना II -

क्रमांक / **108/59** / भू-अर्जन / 2026

कोरबा, दिनांक **07/09** 2026

क्रमांक 202201050400044 / अ-82 / 2021-22- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, एतद् द्वारा, अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का प्रकार					धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम/प. ह.नं.	ख.नं.	क्षेत्रफल (हे.में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कोरबा	हरदीबाजार	बोईदा / 10	486 / 3	0.0490	कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग कोरबा संभाग कोरबा (छ.ग.)	जिला कोरबा के बोईदा मुख्य मार्ग से नायकपारा तिलैयापारा फुटहामुड़ा मार्ग लंबाई 2.76 कि.मी. निर्माण
			3 / 1	0.0060		
			480 / 1	0.0400		
			480 / 7	0.0240		
			480 / 9	0.0320		
			480 / 10	0.0120		
			480 / 13	0.0450		
			484 / 3	0.0160		
			484 / 4	0.0120		
			255	0.0570		
			480 / 3	0.0320		
			480 / 4	0.0320		
			484 / 1	0.0120		
			261	0.0280		
			486 / 2	0.0320		
			104 / 2	0.0530		
			104 / 4	0.0450		
			486 / 6	0.0240		
			486 / 1	0.0240		

		248 / 1	0.0200		
		248 / 3	0.0100		
		245 / 4	0.0160		
		254 / 1	0.0320		
		245 / 9	0.0240		
		245 / 6	0.0240		
		104 / 3	0.0400		
		481 / 1	0.0650		
		245 / 1	0.0320		
		485	0.0080		
		486 / 4	0.0200		
		486 / 7	0.0160		
		259 / 3	0.0280		
		245 / 2	0.0240		
		245 / 5	0.0120		
		260 / 5	0.0280		
		6 / 1	0.2920		
		6 / 2	0.0970		
		94 / 4	0.0520		
		309 / 1	0.0080		
		309 / 2	0.0080		
		309 / 3	0.0040		
		307	0.0160		
		305 / 2	0.0030		
		305 / 3	0.0040		
		249 / 7	0.3690		
		249 / 4	0.0970		
		249 / 23	0.0400		
		247	0.1580		
		480 / 19	0.0400		
		310 / 2	0.0080		
		480 / 6	0.0280		
		310 / 3	0.0080		
	योग:-	कुल खसरा नंबर 52	2.206	-	-

2. यह भी सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त भूमि में कोई हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाघात निर्धारण के निष्कर्षों के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर

को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम, 2013 की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।

3.भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी पाली के कार्यालय में किया जा सकता है।

4.प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।

5.प्रस्तावित प्रयोजन के भू-अर्जन के लिए कराए गए सामाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाघात की तुलना में लाभ अधिक होना पाया गया है।

6.प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए अधिनियम, 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी पाली जिला कोरबा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन का प्रशासक नियुक्त किया गया है।


अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू-अर्जन अधिकारी पाली
जिला- कोरबा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(कुणाल दुदावत)
कलेक्टर
एवं पदेन उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग